छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 465/2007

1. श्री ए0 प्रकाश, — *अपीलार्थी*
एम0एम0–23, शिव मंदिर लेन,
अवंति विहार, तेलीबांधा, रायपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* — *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय नगर पालिक निगम,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 30 मार्च, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री ए0 प्रकाश द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी, कार्यालय नगर पालिक निगम, रायपुर के समक्ष दिनांक 15.11.2006 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष दिनांक 27.12.2006 को अपील प्रस्तुत की गई । उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 06.02.2007 को दिये गये आदेश के बावजूद भी उन्हें अपूर्ण जानकारी मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 24.04.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष के तर्कों का श्रवण किया गया । प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक को अधिकांश जानकारी दिया जाना बताया गया, किन्तु विकास शुल्क की नियमावली की प्रति नहीं देना बताया और किसी का नक्शा बिना शुल्क लिये पास नहीं किये जाने की त्रुटिपूर्ण जानकारी देना बताया, जबकि अपीलार्थी ने दो नाम दिये थे, जिनका नक्शा बिना विकास शुल्क लिये पास किया गया, अतः त्रुटिपूर्ण जानकारी देने वाले के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के निर्देश दिये गये तथा जोन प्रभारी श्री संतोष पाण्डे को विलंब के लिए दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था । श्री संतोष पाण्डे ने उत्तर में नगर निवेशक को जानकारी भेजना बताया गया, अतः नगर निवेशक को बीस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । नगर निवेशक ने अपने उत्तर में जानकारी नहीं भेजने के लिए श्रीमती मंजूला वर्मा, निम्न श्रेणी लिपिक को उत्तरदायी बताया है, अतः श्रीमती मंजूला वर्मा को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । प्रकरण में श्रीमती मंजूला वर्मा सूचना के बाद भी अनुपस्थित रही, अतः उनके विरूद्ध एक–तरफा कार्यवाही की गई । प्रकरण में दोनों पक्षों को यह भी निर्देश दिये गये थे कि वे परस्पर शेष जानकारी के संबंध में जॉच कर लें और जॉच उपरांत शेष जानकारी भी निःशुल्क प्रदान की जावे । साथ ही उभय पक्ष की ओर से शपथ पत्र भी शेष जानकारी के संबंध में प्रस्तुत किया जावे । प्रकरण में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि नगर निवेशक जैसे वरिष्ठ अधिकारी को यह निर्देश दिये गये थे कि अपीलार्थी से चर्चा करके जो जानकारी शेष है, वह उनको प्रदान करें, किन्तु अपीलार्थी ने अपने लिखित तर्कों में यह बताया है कि उनके द्वारा जो जानकारी नहीं मॉगी गई, वह उन्हें दी गई है

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

और कालोनाईजर के रजिस्ट्रीकरण, निबर्धन एवं शर्तों की मॉग नहीं की थी, वह अपने मूल आवेदन में विकास शुल्क से संबंधित जानकारी चाहते हैं, जो उनसे संबंधित है और स्वयं के मकान के निर्माण के संबंध में है और यह जानकारी अब तक नगर निगम की ओर से प्राप्त नहीं हुई है । अपीलार्थी ने इस संबंध में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है । प्रकरण में अपने शपथ पत्रों में भी नगर निगम के अधिकारियों ने यह बताया है कि उनके यहॉ उपलब्ध समस्त जानकारी प्रदान करा दी गई है किन्तु विवादग्रस्त बिन्दु पर कोई उल्लेख नहीं किया है । श्रीमती मंजूला वर्मा द्वारा विलंब किया जाना नगर निवेशक ने बताया है और उन्होंने आयोग की नोटिस का न तो उत्तर दिया और न ही व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित हुई, अतः इस प्रकरण में चूंकि वे अल्पवेतन भोगी कर्मचारी है, अतः उन पर विलंब के लिए अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत राशि 250/– रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है । साथ ही आयुक्त, नगर निगम, रायपुर को अधिनियम की धारा–20(2) के अन्तर्गत निर्देश दिये जाते हैं कि श्रीमती मंजूला वर्मा, निम्न श्रेणी लिपिक के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जावे । प्रकरण में श्री संतोष पाण्डे, जोन प्रभारी तथा नगर निवेशक द्वारा जानकारी दी गई है, किन्तु चर्चा उपरांत भी अपीलार्थी के मूल आवेदन को देखकर संबंधित जानकारी भी पूर्ण एवं सही प्रदान नहीं की गई है, अतः इन दोनों अधिकारियों पर अधिनियम की धारा–20(1) के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण एवं अपूर्ण जानकारी हेतु 1000/– रूपये की शास्ति प्रत्येक अधिकारी पर आरोपित की जाती है । साथ ही आयुक्त, नगर निगम, रायपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे मूल आवेदन को देखकर उसमें से जो भी जानकारी शेष रही हो, वह सही एवं स्पष्ट जानकारी अब अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क प्रदान की जावे और इस संबंध में आवश्यक हो तो अपीलार्थी को स्वयं चर्चा के लिए बुलाकर और संबंधित रिकार्ड का निःशुल्क निरीक्षण कराते हुए यह जानकारी उन्हें उपलब्ध करावे । साथ ही आयुक्त, नगर निगम को यह निर्देश भी दिये जाते हैं कि इस प्रकरण में विस्तृत जॉच करें और यदि कोई अन्य अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये जावे तो उनके विरूद्ध भी धारा–20(2) के अन्तर्गत विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की जाती है । प्रकरण में विलंब एवं त्रुटिपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा–19(8)(ख) के अन्तर्गत नगर निगम की ओर से राशि 1000/– रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com